

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी0-NIC कम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/233/1213020/वाणिज्य कर दिनांक 07.06.2012 द्वारा जारी किये गये निर्देशों में कहा गया था कि डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची वेबसाइट में प्रकाशित होने के साथ-साथ इसकी सूचना एस0एम0एस0 व ई-मेल में माड्यूल से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगी ।

इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 के सर्वर में उपलब्ध डाटाबेस से ज्ञात करने पर यह पाया गया कि वर्तमान में बहुत से व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते डाटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं । वस्तुतः डाटाबेस में उन्हीं व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते उपलब्ध हैं जो विभाग की किसी न किसी आन लाइन सेवा (ई-रिटर्न, नेट पेमेन्ट अथवा फार्म डाउनलोड) का उपयोग कर रहे हैं अथवा दिनांक 01.01.2008 के पश्चात पंजीकृत हुए हैं । अतः शेष व्यापारियों के मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता प्राप्त करने के लिये एन0आई0सी0 द्वारा दो वेब आधारित एवं मोबाइल फोन आधारित सेवाएँ बनायी गयी हैं जिनके माध्यम से व्यापारी स्वयं अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकते हैं । इन सेवाओं का विवरण निम्नवत है:-

1-वेब आधारित सेवा-इस सुविधा के माध्यम से व्यापारी विभागीय वेबसाइट पर जाकर तथा Update Contact Information to Receive Important Messages के लिंक को क्लिक करके अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता दर्ज करा सकते हैं । इस सुविधा के माध्यम से अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता दर्ज कराने में यह व्यवस्था भी रखी गयी कि व्यापारी यदि चाहे तो सर्वर में पहले से उपलब्ध किसी मोबाइल नम्बर व ई-मेल पते, जिसका विवरण व्यापारी को अपना टिन नम्बर डालने पर प्रदर्शित होगा, को ही अन्य विभागीय सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करा सकता है ।

नया मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराने पर व्यापारी के मोबाइल फोन पर सर्वर से भेजा गया एक पिन नम्बर प्राप्त होगा जिसे पुनः पूर्वोक्त लिंक पर जाकर निर्धारित फील्ड में भरना होगा । यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसका मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता सर्वर में दर्ज हो जायेगा ।

2-मोबाइल फोन आधारित सेवा -इस सुविधा के अन्तर्गत व्यापारी उस मोबाइल फोन, जिसका नम्बर वह विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण विभागीय सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए सर्वर में पंजीकृत कराना चाहता है, से फोन नम्बर **9212357123** पर एक SMS भेजकर अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकता है । इसके लिए व्यापारी को निम्न SMS उक्त नम्बर पर भेजना होगा :-

cte mob <Tin No> < फर्म के संगठन का कोड > < e-mail पता >

फर्म के संगठन अर्थात एकल स्वामित्व की फर्म साझीदारी फर्म आदि का कोड वही होगा जो व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र (फार्म-VII) में अंकित किया गया है । सुलभ सदर्थ हेतु इन कोड का विवरण नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

Constitution Code	Constitution
0	Proprietorship
1	Partnership
2	HUF
3	Government Co.
4	Public Ltd.Co.
5	Private Ltd.Co.
6	Government Corporation
7	Association
8	Club/Trust/Society
9	Central Government Department
10	State Government Department
11	Central Government Undertaking
12	State Government Undertaking
13	Local Body
14	Association of Persons
15	Others /Guardian of Minor/ Power of Attorney

3- सर्वर को भेजे जा रहे SMS में ई-मेल पता वैकल्पिक है तथा यदि व्यापारी का अपना कोई ई-मेल पता नहीं है, तो व्यापारी केवल टिन नम्बर व फर्म के संगठन का कोड SMS करके अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा सकता है।

4- उपरोक्त दोनो प्रकार की सुविधा में कोई मोबाइल नम्बर अधिकतम 05 टिन नम्बरो के लिए ही दर्ज कराया जा सकता है।

कृपया इस व्यवस्था से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं के बीच भी इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें ताकि अधिकाधिक व्यापारी अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय सर्वर पर पंजीकृत करा सकें।

(हिमोशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, 30प्र० शासन लखनऊ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 30प्र० लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, 30प्र० लखनऊ।

(एम० के० सिंह)
एडी०कमि० गेड-2 (आई०टी०) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।